

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2849/2015

1. परमानंद आडवाणी पुत्र श्री भीकम चंद, जाति सिंधी उम्र 50 वर्ष, निवासी 151, रामदेव रोड, पाली
2. मांगी लाल पुत्र श्री भीकम चंद, जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष, निवासी 184, महात्मा गांधी कॉलोनी, पाली

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य
2. गीता देवी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण उर्फ लाला राम जाति भाट उम्र 37 वर्ष निवासी हिम्मत नगर पाली
3. मंगल सिंह पुत्र श्री लादू सिंह, जाति रावणा राजपूत उम्र 42 वर्ष, निवासी 616, सुभाष नगर-ए पाली
4. राधा देवी पुत्री स्वर्गीय प्रभु जी और पत्नी श्री मूला राम जाति भाट, निवासी हिम्मत नगर पाली, वर्तमान में निवासी गांधी नगर भटवाड़ा, आबू रोड, जिला सिरोही
5. पुष्पा देवी पुत्री स्वर्गीय प्रभु जी और पत्नी छोगा राम जाति भाट उम्र 44 वर्ष, निवासी हिम्मत नगर पाली वर्तमान में निवासी गांधी नगर भटवाड़ा, आबू रोड, जिला सिरोही
6. लक्ष्मी देवी पुत्री स्वर्गीय प्रभु जी और पत्नी काना राम जाति भाट, उम्र 48 वर्ष, निवासी हिम्मत नगर, पाली, वर्तमान में निवासी सी-ब्लॉक, कालूजी की ढाणी, जिला अजमेरा।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री राकेश अरोड़ा श्री नरेश सिंह
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, उप.रा.अ. श्री रवीन्द्र सिंह, स.रा.अ. श्री भरत श्रीमाली

माननीय श्रीमान न्यायाधीश फरजंद अली
आदेश

प्रकाशन-योग्य

17/03/2025

1. वर्तमान विविध याचिका आरोपी याचिकाकर्ता परमानंद आडवाणी और मांगी लाल की ओर से, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 77/2013 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) मामले, पाली द्वारा पारित दिनांक 21-05-2012 के आदेश साथ-साथ आपराधिक मूल मामला संख्या 184/2012 में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, पाली की अदालत द्वारा पारित दिनांक 19-08-2015 के आदेश जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत संज्ञान लिया और उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की, को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह होंगे कि प्रतिवादी श्रीमती गीता देवी और मंगल सिंह ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया था कि एक श्रीमती छनिया शिकायतकर्ता श्रीमती गीता की सास थीं और अन्य आरोपी राधा, पुष्पा और लक्ष्मी उनकी ननद हैं। उसके ससुर और पति की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी। उसके ससुर के नाम पर मिल गेट, पाली में स्थित एक दुकान है और उक्त दुकान को श्रीमती गीता ने प्रतिवादी नंबर 2 मंगल सिंह को इसकी देखभाल के लिए दिया था और बाद में 25-09-2009 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के माध्यम से उसे बेच दिया गया था और कब्जा भी उसे सौंप दिया गया था। शिकायतकर्ता श्रीमती गीता और मंगल सिंह को विचाराधीन दुकान के विवाद के संबंध में 11-12-2009 को गिरफ्तार किया गया था और जिसके बाद उन्हें पता चला कि उक्त दुकान विक्रेता श्रीमती छनिया द्वारा

याचिकाकर्ता परमानंद को दिनांक 18-09-2009 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से बेची गई थी तथा कब्जा उन्हें सौंप दिया गया था।

2.1. पुलिस ने मामले की गहन जांच की और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप झूठे थे और यह एक सिविल विवाद था और इसलिए एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के आधार निम्नलिखित हैं:-

(क) शिकायतकर्ता श्रीमती गीता के ससुर, जिनकी मृत्यु बिना वसीयत के हो गई थी, संबंधित दुकान के मालिक थे इसलिए विक्रेता छनिया ने उस पर मालिकाना हक और पूर्ण स्वामित्व की हैसियत से, संपत्ति परमानंद को बेच दी।

(ख) शिकायतकर्ता, श्रीमती गीता देवी, अपने ससुराल वालों के साथ केवल दो साल ही रहीं, उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने कथित तौर पर अपनी सास के गहने चुरा लिए, और उसके बाद वे दोनों ससुराल वालों से अलग रहने लगे।

(ग) शिकायतकर्ता, श्रीमती गीता देवी, नौ साल बाद अपने ससुराल लौटीं। उस समय तक, श्रीमती छनिया ने याचिकाकर्ता परमानंद को संपत्ति बेच दी थी। श्रीमती छनिया संपत्ति के वास्तविक स्वामी, जिनका अब निधन हो चुका है, की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं, और इसलिए, उन्हें याचिकाकर्ता परमानंद को संपत्ति बेचने का अधिकार था।

3. शिकायतकर्ता ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद जाँच शुरू की गई। जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता से धारा 200 सीआरपीसी के तहत और उसके गवाहों से धारा 202 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई। विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता का पक्ष सुना और उसके बाद अपराध का संज्ञान लिया।

3.1 याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की; हालाँकि, मामले की विषय-वस्तु, साथ ही इसमें शामिल कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 19-08-2015

के आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

4. मैंने पक्षों के वकील की बात सुनी है और मामले की बारीकियों पर गौर किया है।

4.1 यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता श्रीमती गीता देवी का संबंधित दुकान पर पूर्ण स्वामित्व या अधिकार नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि उनके पति और ससुर की मृत्यु के बाद उन्हें अधिकार प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती गीता देवी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और अपने पति के साथ अलग स्थान पर रहने लगी थीं। श्रीमती छनिया, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 परमानंद को संपत्ति की विक्रेता हैं, को यह आभास हो सकता है कि उनके पति की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति उनके नाम हो गई थी और इसलिए, इस विश्वास के तहत, उन्होंने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से याचिकाकर्ता संख्या 1 परमानंद को संपत्ति बेच दी।

4.2. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम दृष्टया निम्नलिखित कारणों से भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है।

(क) धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक तत्व किसी व्यक्ति को गलत या भ्रामक निरूपण करके या बेईमानी से जानकारी छिपाकर धोखा देना है और वास्तव में यहां ऐसा मामला नहीं है क्योंकि न तो यह शिकायतकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ताओं ने या तो गलत निरूपण किया था या अपने किसी कार्य या चूक से उसके सामने कोई जानकारी बेईमानी से छिपाई थी।

(ख) धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक अन्य घटक उस व्यक्ति को किसी संपत्ति को सौंपने या किसी अन्य द्वारा उसे रखने की सहमति देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करना है।

किसी व्यक्ति को धोखा देने या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या न करने के

लिए प्रेरित करने के लिए जिसे वह नहीं करता या न करता यदि उसे धोखा न दिया गया होता; और ऐसा कोई कार्य या चूक पीड़ित के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति पहुँचाती है या पहुँचाने की संभावना रखती है। हालाँकि, यदि शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों को वैसे ही लिया जाए, तो भी ऊपर वर्णित किसी भी बात का पता नहीं लगाया जा सकता है।

4. इस मामले में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो या सुझाता हो कि याचिकाकर्ता परमानंद और शिकायतकर्ता श्रीमती गीता के बीच कोई लेन-देन हुआ था, इसलिए प्रलोभन का तो सवाल ही नहीं उठता, बेईमानी से प्रलोभन की तो बात ही छोड़ दीजिए। धोखाधड़ी का अपराध तब लागू होता जब याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता श्रीमती गीता को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया होता और उस प्रलोभन के प्रभाव में श्रीमती गीता ने वह संपत्ति दे दी होती जो वह नहीं देती अगर उसे ऐसा कपटपूर्ण या बेईमान प्रलोभन न दिया गया होता और ऐसा करके उसने अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। वास्तव में, शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं को कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, अभिलेख से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे यह हैं कि विचाराधीन दुकान श्रीमती छनिया के पति के स्वामित्व में थी और उनके निधन के बाद उन्होंने पैसे प्राप्त करने के बाद पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से संपत्ति याचिकाकर्ता संख्या 1 को बेच दी। शिकायतकर्ता से कुछ भी नहीं लिया गया और उसके द्वारा याचिकाकर्ता को कुछ भी नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टया भी, तथ्य और परिस्थितियाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध का संकेत नहीं देती हैं। प्रथम दृष्टया, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अनुचित प्रतीत होती है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचने का कोई संकेत नहीं मिलता। इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, (2009) 4 अपराध 13** में प्रस्तुत मामले में पारित निर्णय से

मार्गदर्शन लिया है और वही इस मामले में भी पूरी तरह लागू होता है। तत्काल संदर्भ के लिए, संबंधित अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:-

13. आइए अब जाँच करें कि क्या धोखाधड़ी के अपराध के तत्व बनते हैं। "धोखाधड़ी" के अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

(i) किसी व्यक्ति को या तो झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या बेईमानी से छिपाकर या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा धोखा देना;

(ii) उस व्यक्ति को कपटपूर्ण या बेईमानी से कोई संपत्ति सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे अपने पास रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करना, या उस व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करता या न करता यदि उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता; और

(iii) ऐसा कार्य या चूक जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति पहुँचती है या पहुँचने की संभावना है। धारा 420 के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, न केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, बल्कि ऐसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, अभियुक्त ने धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया हो।

(1) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपना, या

(ii) किसी मूल्यवान प्रतिभूति (या हस्ताक्षरित या मुहरबंद कोई भी वस्तु, जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा सकती है) को पूर्णतः या आंशिक रूप से बनाना, परिवर्तित करना या नष्ट करना।

14. जब किसी संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करते हुए बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत क्रेता के लिए यह आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने झूठा दावा करके उसे धोखा दिया है।

स्वामित्व का प्रतिनिधित्व किया और उसे धोखे से विक्रय मूल्य देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस मामले में शिकायत क्रेता की ओर से

नहीं है। दूसरी ओर, क्रेता को सह-अभियुक्त बनाया गया है। शिकायतकर्ता का यह मामला नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे मिथ्या या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा धोखा देने का प्रयास किया, न ही उसका यह मामला है कि उन्होंने उसे कोई संपत्ति सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे अपने पास रखने की सहमति देने के लिए कोई कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण प्रलोभन दिया, या जानबूझकर उसे ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित किया जो वह नहीं करता या न करता यदि उसे ऐसा धोखा न दिया जाता। न ही शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि प्रथम अपीलकर्ता ने विक्रय विलेख निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता होने का ढोंग किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम अभियुक्त ने द्वितीय अभियुक्त के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करके या द्वितीय अभियुक्त ने क्रेता होने के कारण, या तृतीय, चतुर्थ और पंचम अभियुक्त ने विक्रय विलेखों के संबंध में साक्षी, मुंशी और स्टाम्प विक्रेता होने के कारण, शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार से धोखा दिया। चूँकि धारा 415 में वर्णित धोखाधड़ी के तत्व नहीं पाए गए, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संहिता की धारा 417, 418, 419 और 420 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध था। स्पष्टीकरण

15. जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसकी नहीं है, अपनी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करने का दावा करते हुए विक्रय विलेख निष्पादित करना, मिथ्या दस्तावेज़ बनाना नहीं है और इसलिए जालसाजी नहीं है, तो हमारा यह मानना नहीं होना चाहिए कि ऐसा कृत्य कभी भी दंडनीय अपराध नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि वह संपत्ति उसकी नहीं है, कोई संपत्ति बेचता है और इस प्रकार उस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है जिसने संपत्ति खरीदी है, तो धोखाधड़ी का

शिकार हुआ व्यक्ति, यानी क्रेता, शिकायत कर सकता है कि विक्रेता ने धोखाधड़ी का कपटपूर्ण कार्य किया है। लेकिन कोई तीसरा पक्ष, जो विलेख के अंतर्गत क्रेता नहीं है ऐसी शिकायत करने में सक्षम नहीं हो सकता है। संहिता में 'धोखाधड़ी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 'धोखाधड़ी' की शब्दकोश परिभाषा है "लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया छल, विश्वासघात या धोखाधड़ी"। संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 में 'धोखाधड़ी' को अनुबंध के किसी पक्ष के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। डॉ. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन- एआईआर 1963 एससी 1572 में, इस न्यायालय ने 'धोखा' शब्द का अर्थ इस प्रकार समझाया "'धोखा' शब्द में दो तत्व शामिल हैं, अर्थात्, धोखा दिए गए व्यक्ति को धोखा देना और चोट पहुंचाना। चोट आर्थिक नुकसान के अलावा कुछ और है, जो संपत्ति से वंचित करना है, चाहे वह चल हो या अचल, या पैसे की, और इसमें शरीर, मन, प्रतिष्ठा या ऐसे अन्य किसी भी व्यक्ति को होने वाली कोई भी हानि शामिल होगी। संक्षेप में, यह एक गैर-आर्थिक या गैर-आर्थिक हानि है। धोखेबाज को लाभ या फायदा लगभग हमेशा धोखा दिए गए व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुंचाएगा। यहां तक कि उन दुर्लभ मामलों में भी जहां धोखेबाज को लाभ या फायदा होता है, लेकिन धोखा दिए गए व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है, दूसरी शर्त पूरी होती है।"

उपरोक्त परिभाषा को संक्षेप में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रणजीत सिंह- 1999 (2) एससीसी 617 में दोहराया गया था।

16. दंड संहिता की धारा 25 में 'कपट' शब्द के विशेषण रूप 'कपटपूर्वक' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: "किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक कोई कार्य करना तभी कहा जाता है जब वह उस कार्य को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।" "कपटपूर्वक"

शब्द का प्रयोग अधिकतर "बेईमानी से" शब्द के साथ किया जाता है, जिसे धारा 24 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से कोई कार्य करता है, उसे वह कार्य 'बेईमानी से' करना कहा जाता है।" दंड संहिता के अंतर्गत 'कपट' करना या कपटपूर्वक कुछ करना अपने आप में अपराध नहीं माना जाता, बल्कि विभिन्न कृत्य धोखाधड़ी (या धोखाधड़ी और बेईमानी) से किए जाए तब अपराध माने जाते हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) संपत्ति को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना (धारा 206, 421, 424)
 (ii) जब्ती को रोकने के लिए संपत्ति पर धोखाधड़ी का दावा (धारा 207)।

(iii) कपटपूर्वक कष्ट सहना या डिक्री प्राप्त करना (धारा 208 और 210)

(iv) नकली सिक्के का कपटपूर्ण कब्जा/वितरण (धारा 239, 240, 242 और 243)।

(v) सिक्के का कपटपूर्ण परिवर्तन/वजन कम करना (धारा 246 से 253)

(vi) स्टाम्प से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण कार्य (धारा 261-261) (vii) झूठे उपकरणों/वजन/माप का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग (धारा 264 से 266)

(viii) धोखाधड़ी (धारा 415 से 420)

(ix) ऋणदाताओं को धोखाधड़ी से ऋण उपलब्ध होने से रोकना (धारा 422)।

(x) प्रतिफल का झूठा विवरण शामिल करते हुए हस्तांतरण विलेख का कपटपूर्ण निष्पादन (धारा 423)।

(xi) जालसाजी, झूठा दस्तावेज बनाना या निष्पादित करना (धारा 463 से 471 और 474)

(xii) मूल्यवान प्रतिभूति आदि का कपटपूर्ण निरस्तीकरण/विनाश

(धारा 477)

(xiii) विवाह समारोह में कपटपूर्वक भाग लेना (धारा 496)।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल यह आरोप लगाने या दर्शाने से कि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक कार्य किया है, यह नहीं माना जा सकता कि उसने संहिता या किसी अन्य कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, जब तक कि उस कपटपूर्ण कार्य को संहिता या अन्य कानून के अंतर्गत अपराध के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो।

दंड संहिता की धारा 504

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार न करके गलती की है क्योंकि श्रीमती गीता और याचिकाकर्ताओं के बीच लेन-देन हुआ था, इसलिए धारा 420 भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया, जो मेरे विचार से कानून की दृष्टि से अनुचित है और इसलिए टिकने योग्य नहीं है। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय को विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता और सत्यता की जाँच करनी थी, लेकिन उन्होंने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया। अतः, दोनों आदेश निरस्त और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

6. तदनुसार, वर्तमान विविध याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) प्रकरण, पाली द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 77/2013 में पारित दिनांक 21-05-2012 के आदेश तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, पाली के न्यायालय द्वारा आपराधिक मूल प्रकरण संख्या 184/2012 में पारित दिनांक 19-08-2015 के आदेश को एतद्वारा निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को आरोपों से मुक्त किया जाता है।

7. स्थगन याचिका का निस्तारण होता है।

(फरजंद अली).जे

3-ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी